## //निर्णय// (आज दिनांक 27-9/)... को घोषित)

01. आरोपी को स्वेकिक सस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की को तहत
धारा
दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।  02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई
पूर्व दोषसिद्धि अगिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमक राशि रूपये
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
अर्थदण्ड सदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को दिवस की
अवधि की सिधिरण कारावास से भगतामा जाते।
प्ति जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन स्वितिम् कु०

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distr. Buind (M.P.)